संख्या– 11 /XXVIII–5–2018–46/2016

प्रेषक,

गरिमा रौंकली
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांकः 03 जनवरी, 2018

विषय– **वित्तीय वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत राजकीय स्वायत्ता प्राप्त चिकित्सालयों के सुचारू संचालनार्थ प्रावधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5प/1/25/2017–18/28718 दिनांक 02 नवम्बर, 2017 के कम में में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के आयोजनागत मद में अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2210–01–110–15–राजकीय स्वायत्ता प्राप्त चिकित्सालयों के अनुदान के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि ₹31,90,00 हजार (रूपया इक्त्तीस करोड़ नब्बे लाख मात्र) तथा लेखाशीर्षक–2210–03–110–13–राजकीय स्वायत्ता प्राप्त चिकित्सालयों के अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹15,00,00 हजार (रूपया पन्द्रह करोड़ मात्र) के सापेक्ष उक्त पत्र के माध्यम से प्रस्तावित ₹45,73,22,606 (रूपया पैतालिस करोड तिहत्तर लाख बाईस हजार छः सौ छः मात्र) की धनराशि के सापेक्ष **50 प्रतिशत तक की धनराशि ₹22,86,61,303/(रूपये बाईस करोड़ छियासी लाख इकसठ हजार तीन सौ तीन मात्र) निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–**

1. उक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार व्यय उपविधियों के अनुरूप प्रबन्ध कार्यकारिणी की बैठक में वार्षिक बजट का प्रस्ताव लाकर विचारोपरान्त/अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय।
2. पूर्व जारी अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र 15 दिनों के अन्दर प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
3. ऐसा कोई व्यय कदाचित न किया जाय, जो समिति के उपदेशों एवं उपविधियों के विरूद्ध हो।
4. प्रबन्ध कार्यकारिणी का गठन नियमानुसार नहीं किया गया है, तो कार्यकारिणी का गठन तत्काल सुनिश्चित किया जाय।
5. सोशल आडिट की व्यवस्था भी स्थापित की जाय।
6. उक्त व्यय सुनिश्चित करते हुए अधिप्राप्ति नियमावली,2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग–1 के सुसंगत शासनादेशों का कडाई से पालन किया जाय।
7. शासनादेश संख्या–236/चि0–2–2003–42–2003 दिनांक–24 मार्च2003 की शर्तो का पालन सुनिश्चित किया जाय।
8. किसी प्रकार की अनियमितता एवं शिकायती तथ्य प्राप्त होने की स्थिति में समिति के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध कार्यकारिणी के सदस्य उत्तरदायी होगें।

9. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

10. इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक–2210–01–110–15–राजकीय स्वायत्ता प्राप्त चिकित्सालयों के अनुदान तथा लेखाशीर्षक–2210–03–110–13–राजकीय स्वायत्ता प्राप्त चिकित्सालयों 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–119(म0)/XXVII(3)/2017-18, दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

<u>संलग्न :एलॉटमेन्ट आई.डी.</u> S1801120030

भवदीय,

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या– 11 (1)/XXVIII–5–2018–46/2016 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखा भवन,कालागढ, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मुकेश कुमार राय)
अनु सचिव